न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

7.6.2024

बदरुद्दीन खान
बनाम
अब्दुल कादिर खां

वाद सं०— **एम०— 23/2023**

वाद का प्रकार— **धारा— 126 भा०ना०सु०सं०**

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, डुमरी थाना) —बनाम— बदरुद्दीन खान एवं अब्दुल कादिर खां

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०— 53/2023 एवं डुमरी **थाना** अप्राथमिकी काण्ड स0— **16/2023** दिनांक— **07.12.2023** से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में (पूर्व का दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा— 107) धारा— 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए आवेदक बदरुद्दीन खान, पे० स्व० अबुल खैर, सा०— बेलटोली, थाना डुमरी, जिला— गुमला एवं प्रतिवादी अब्दुल कादिर खां, पे० रशीद खान सा० थाना रोड चैनपुर, थाना— चैनपुर, जिला— गुमला द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी को लेकर उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। **थाना प्रभारी, डुमरी** से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की वैधानिक अवधि समाप्त होने के पश्चात् वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशांधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2024.12.18 07:43:31 +05:30
Location: 192.168.43.18

Scanned with ACE Scanner